(108)

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेल:–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट www.lsgraj.org

क्रमांक :– एफ 55(29B)Engg./CE/DLB/ESPIC/17 / 4293 दिनांक :– 19.01.2017

दिशा निर्देश परिपत्र- 3

स्ट्रीट लाईटस हेतु ऊर्जा बचत प्रोजेक्ट (LED light) की कियान्वति के लिये दिशा–निर्देश

सभी निकायो में एलईडी स्ट्रीट लाईट प्रोजेक्ट के तहत, सभी ट्यूब लाईट / सोडियम स्ट्रीट लाईटों को एलईडी स्ट्रीट लाईटो में बदलने के लिए ईईएसएल द्वारा 96 निकायों में कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। इनमे से 66 निकायो मे कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 94 निकायों में शीघ्र कार्य प्रारम्भ करने के लिये ईईएसएल को निर्देश दिये जा चुके है। अभी तक कुल 5.88 लाख एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईटे लगायी जा चुकी है, लेकिन कई निकायो मे फेज वायर व अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर सबंन्धित कार्यो के अभाव मे एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट का कार्य पूर्ण नही किया जा सकता है। प्रोजेक्ट को निर्धारित अवधि मार्च 2017 तक पूर्ण करने लिये सभी निकायो को निम्नानुसार निर्देश दिये जाते है।

1. ईईएसएल द्वारा एलईडी लाईट प्रोजेक्ट तभी पूर्ण किया जा सकता है जब निकाय द्वारा फेज वायर का कार्य पूर्ण कर लिया गया हो। यह कार्य सिर्फ उन खम्भो पर किया जायेगा जहाँ फेज वायर उपलब्ध है। बिना फेज वायर वाले खम्भों पर एलईडी लाईट व सीसीएमएस पैनल नहीं लगाये जायेंगे।

2. स्ट्रीट लाईटिंग सिस्टम में प्रयुक्त बिजली के नये खम्भे लगाना, रिपेयर करना, क्षति ग्रस्त भूमिगत केबिल को स्थाई रूप से बदलना, फेज वायर खींचना, अर्थिंग करना, मेन स्वीच / टाईमर स्वीच लगाना, विद्युत वितरण निगम से विधिवत मीटर कनेक्शन लेना आदि इन्फ्रास्ट्रक्चर से संबंधित संमस्त कार्य संबंधित निकाय द्वारा सम्पादित किये जाने है। ई.ई.एस.एल. द्वारा विभिन्न निकायो में एल.ई.डी.लाईट लगाने से पूर्व सिस्टम मे फेजबायर व इन्फ्रास्ट्रक्चर सबंन्धित कमियो / खरावियो की जानकारी तथा सिस्टम बेहतर करने के लिये फेजवायर, अर्थिंग, क्लेम्प,नट.बोल्ट आदि कार्य सम्पादन के लिये आवश्यक सुविधाये उपलब्ध करायी जावेगी।

3. जिन निकायो मे वास्तविक एल.ई.डी. लाईटो की संख्या, एम.ओ.यु. के डाटा प्रपत्र मे दर्शायी गयी मात्रा से अधिक है, इन सभी निकायो मे आवश्यक्तानुसार नई एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईटे लगवायी जा सकती है। लेकिन ये अतिरिक्त स्ट्रीट लाईटे उन कालोनियो मे ही लगायी जा सकती है जिनसे "अरबन सेस" की राशि विद्युत उपभोग बिलो मे वसुली जा रही है तथा उन क्षेत्रों की स्ट्रीट लाईटे निकाय द्वारा संधारित की जा रही है। ऐसी कालोनियो सभी सार्वजनिक स्थान, धार्मिक स्थल के आसपास के मार्गो पर स्थित सभी स्ट्रीट लाईटो को एल. ई.डी. स्ट्रीट लाईटो मे परिवर्तित किया जा सकता है, परन्तु मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इत्यादि के भवनो के अंदर की लाईटो को नही बदला जा सकता है।

4. निकायो द्वारा इस प्रोजेक्ट कार्य के लिए किसी अभियन्ता को "नोडल आफीसर" नियुक्त किया जावे जिसकी देखरेख मे कार्य सम्पादित करवाया जावे। ई.ई.एस.एल. द्वारा लगायी गयी नयी एल.ई.डी. लाईटो का सत्यापन प्रतिदिन करे तथा कार्य पूर्ण होने पर निर्धारित प्रपत्र मे "कम्पीलशन सर्टिफिकेट" मय ऊर्जा बचत व लक्स रिपोर्ट तैयार की जावे ताकि प्रोजेक्ट लागत कि गणना सम्भव हो सके। निर्धारित प्रपत्र इस कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 14995-15183 दिनांक 17.6.2016 को जारी किया जा चुका है।

105

5. उक्त कार्यो के सम्पादन के लिए निदेशालय पत्र क्रमांक 5724-5912 दिनांक 08.09.2016 तथा ईईएसएल के साथ प्रमुख शासन सचिव की बैठक मिनिट्स दिनांक 26.09.2016, 1298 दिनांक 24-10-2016 के द्वारा तथा संभाग स्तर व निदेशालय में आयोजित विभिन्न बैठको में भी निर्देशित किया जा चुका है लेकिन अभी तक सभी निकायो मे इन्फ्रास्ट्रक्चर/ फेज वायर संबंधित कार्य पूर्ण नहीं कराये गये है। इन कार्यो के बिना एलईडी लाईट प्रोजेक्ट का कार्य पूर्ण नहीं किया जा सकता।

अतः आपसे पुनः आग्रह है कि ई.ई.एस.एल. के साथ सम्पादित एम.ओ.यू. व इस कार्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देश परिपत्र प्रथम व द्वितिय पत्र क्रमांक 639 दिनांक 01.01.2016 व क्रमांक 293 दिनांक 12.04.2016 में वर्णित समस्त कार्य शीघ्र करवाये जाये। निकाय स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य मे विलम्ब होने पर सम्बान्धित आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। प्रगति रिपोर्ट सलंग्न प्रपत्र मे प्रत्येक सोमवार को ई-मेल (espcdlbjp@gmail.com) द्वारा इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करे।

कृपया इस कार्य को प्राथमिकता प्रदान करे ताकि एलईडी प्रोजेक्ट का कार्य सभी निकायो में निर्धारित अवधि मार्च 2017 तक में पूर्ण करना संभव हो सके।

सलंग्नः—उपरोक्त।

(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :— एफ 55(29B)Engg./CE/DLB/ESPIC/17 / 4294- 4498 दिनांक :— 19.01.2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. श्री सौरभ कुमार, प्रबन्ध निदेशक, एनर्जी एफिसिएन्सी सर्विस लि0. चतुर्थ तल, IWAI, बिल्डिंग ए—13, सेक्टर—1 नोएडा—201301 (यू.पी.)।
4. प्रबन्ध निदेशक, रील, 2 कनकपुरा औद्योगिक क्षेत्र, सिरसी रोड, जयपुर।
5. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थनिय निकाय विभाग, जयपुर/ अजमेर/ जोधपुर/ उदयपुर/ कोटा/ भरतपुर/ बीकानेर।
6. समस्त आयुक्त, नगर निगम/परिषद।
7. समस्त आधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका।
8. श्री वेंकटेश द्विवेदी, मुख्य महाप्रबंधक, ई.ई.एस.एल., चतुर्थ तल, IWA बिल्डिंग ए—13, सेक्टर—1 नोएडा—201301 (यू.पी.) उनके पत्र क्र. 8125 दिनांक 16.01.2017 के क्रम मे।
9. अतिरिक्त मुख्य प्रबंधक, ईईएसएल, कॉरपोरेट टावर 6 तल, मालवीय मार्ग सी—स्कीम जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

20/1/18
(के.के.शर्मा)
मुख्य अभियंता

E:\gupta sir\Hindi latter.docx

LED प्रोजेक्ट सूचना

निकाय का नाम................

अधिशाषी अधिकारी / आयुक्त का नाम..................मो.न. ....

निकाय के नोडल ऑफीसर का नाम........................मो.न. ....

(A) **निकाय क्षेत्र मे प्रोजेक्ट लागू होने से पूर्व लगी हुई लाईटें**

(1) सोडियम .... Watt
(2) सोडियम .... Watt
(3) ट्युब लाईट .... Watt
(4) बल्ब .... Watt
(5) बल्ब .... Watt
(6) अन्य
(i) .... Watt
(ii) .... Watt
(iii) .... Watt

(B) **निकाय क्षेत्र मे प्रोजेक्ट लागू होने के पश्चात लगाई गई एल.ई.डी. लाईटो की संख्या**

1. -------------------------- Watt -------------------------- Nos.
2. -------------------------- Watt -------------------------- Nos.
3. -------------------------- Watt -------------------------- Nos.
4. -------------------------- Watt -------------------------- Nos.

(C) **फेज वायर की स्थिति**

1. लाईटो की संख्या जिन पर फेज वायर उपलब्ध है।——— नग
2. लाईटो की संख्या (डायरेक्ट प्वाईंट) जिन पर फेज वायर उपलब्ध नही है। ——— नग

(D) **विद्युत्त मीटर की स्थिति**

1. स्ट्रीट लाईटो के सर्किटो / स्वीचिंग पेनल की संख्या (A)——— नग
2. स्ट्रीट लाईटो के सर्किटो / स्वीचिंग पेनल की संख्या जिन पर विद्युतं कनेक्शन मीटर उपलब्ध है (B)——— नग
3. स्ट्रीट लाईटो के सर्किटो / स्वीचिंग पेनल की संख्या जिन पर विद्युत्त कनेक्शन मीटर उपलब्ध नही है। (A–B)——— नग

(E) **फेजवायर, रिकेब्लिंग व अर्थिंग के तकमीने की स्थिति**

जिन खम्बो पर फेज वायर नही है उन पर फेज वायर कार्य हेतु बनाया गया तकमीना का विवरण —— तकमीना राशी रूपये .... फेज वायर .... किलोमीटर

1. रिकेबलिंग की तकमीना राशी व विवरण ....
2. अर्थिंग की तकमीना राशी व विवरण ....

(F) **ई.ई.एस.एल. द्वारा रख–रखाव कार्य हेतु शिकायत निवारण केंद्र मे उपलब्ध स्टाफ**

1. लाईनमैन, हेल्पर आदि...................
2. टोल–फ्री टेलिफोन नम्बर ....

(G) साप्ताहिक बंद लाईटो का विवरण

	कुल प्राप्त शिकायतो की संख्या	निवारण की गयी शिकायतो की संख्या	ई.ई.एस.एल. स्तर पर विलम्ब	निकाय स्तर पर विलम्ब
प्रथम सप्ताह				
द्वितीय सप्ताह				
तृतीय सप्ताह				
चतुर्थ सप्ताह				

(F) शिकायतो की संख्या जिनको ई.ई.एस.एल. द्वारा 48 घण्टे मे ठीक नही किया गया

प्रथम सप्ताह

द्वितीय सप्ताह

तृतीय सप्ताह

चतुर्थ सप्ताह

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी